information furnished by Delhi Administration, the number of applications received in Circle No. 43 of the Food and Civil Supplies Department and the number of ration cards issued on these applications are as follows:—

| Year | Applications received | Ration-Cards issued |
|---|---|---|
| 1984 . . | 9427 | 8542 |
| 1985 . . | 11865 | 10632 |
| 1986 . . (upto 31-10-86) | 10075 | 8682 |

Records of applications received are not maintained areawise within a particular circle and as such, number of applications received from different areas cannot be ascertained. Ration cards are issued to applicants whose applications are found in order only after appropriate verification. No application received upto 31-10-86 is pending.

**हरिजनों के लिये आवासों की व्यवस्था**

1112. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अक्तूबर, 1986 के "हिन्दुस्तान" दिल्ली संस्करण में "हरिजनों को एक करोड़ घर दिये जाने का प्रावधान" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसे क्रियान्वित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के हरिजनों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये अनेक कार्यक्रम शुरु किये हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात तथा अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ मिला है ?

**कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) :** (क) जी, हा ।

(ख) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा मुक्त हुए बन्धुआ मजदूरों के लिये मकानों के निर्माण हेतु इन्दिरा आवास योजना 7वीं योजना के दौरान आर एल ई जी पी के भाग के रूप में शुरू की गई है और इन स्कीमों के लिये नियतन वर्ष-वार किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 1985–86 तथा 1986–87 के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 225 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत आवास परियोजनाएं ऐसे क्षेत्रों या बस्तियों में शुरू की जाती हैं जहां अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों के भूमिहीन मजदूर अधिक संख्या में रह रहे हों ।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों के विकास के लिये छठी योजना के दौरान एक व्यापक नीति तैयार करके कार्यान्वित की गई जिसमें 3 कम्पोनेंट हैं, अर्थात् राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के लिये विशेष कम्पोनेंट प्लान, विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुसूचित जाति विकास निगम आदि । इस योजना को 7वीं योजना के दौरान चालू रखा जा रहा है । इसी तरह अनुसूचित जनजातियों के लिये आदिवासी उपयोजना की और विशेष केन्द्रीय सहायता की व्यापक नीति को जारी रखा जा रहा है । "अन्य पिछड़े वर्गों" के लिये अलग योजनायें केवल राज्य सरकारों द्वारा ही तैयार करके कार्यान्वित की जाती हैं और उन की देखरेख की जाती है ।

(ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

अनसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या जिन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने योग्य बनाने के लिये 1983-84, 84-85 और 85-86 के दौरान आर्थिक सहायता दी गयी।

| राज्य | सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात | अनुसूचित जाति | 32,257 | 70,328 | 51,550 |
| | अनुसूचित जनजाति | 85,770 | 70,904 | 66,995 |
| | कुल | 1,68,046 | 1,49,232 | 1,18,545 |
| अखिल भारतीय | अनुसूचित जाति | 27,96,508 | 26,22,383 | 22,72,930 |
| | अनुसूचित जनजाति | 9,72,77 | 10,81,089 | 8,72,857 |
| | कुल | 37,70,625 | 37,03,471 | 51,45,787 |

**Provision of Amenities to Regularised Colonies**

1113. SHRI GURUDAS DASGUPTA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether some unauthorised colonies regularised recently have been transferred from the jurisdiction of D.D.A. to Municipal Corporation of Delhi;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether development work of these colonies *i.e.* pipe line for drinking water, sewerage and civic amenities is to be done by Municipal Corporation of Delhi;

(d) if so, what are the details thereof; and

(e) whether developmental charge is to be collected by D.D.A. or MCD; and what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

(e) The development charges in respect of colonies in the jurisdiction of DDA are payable to the DDA.

**Gandhamardhan Bauxite Project**

1114. SHRI SUBAS MOHANTY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether any final decision on continuing or otherwise of Gandhamardhan Bauxite Project in Orissa has been taken keeping in view the environmental implications of the project;

(b) the total amount so far spent on the said project; and

(c) when the project was actually commissioned and when the work on the project was stopped owing to environmental implications?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) to (c) The Gandhamardan Bauxite Project of Bharat Aluminium Company Ltd. in Orissa was sanctioned by the Govt. on 26-7-1982. An expenditure of Rs. 23.23 crores has been incurred upto September, 1986 on this project. The question of environmental clearance for this project has been under